

## कृषि निदेशालय, बिहार।

सचिका सं०- 6/स्था० अन्य- 98/11-

क०, पटना दिनांक

जुलाई, 2015

### आदेश

श्री मृत्युंजय कुमार, संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त लोक सूचना पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना का कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. उपर्युक्त कार्य के लिए कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
3. उपरोक्त आदेश पत्र निर्गत की तिथि से तुरंत प्रभावी होगा।

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 670

क०, पटना 03- जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा/अपर निदेशक (शष्य), बिहार/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक (प्रमंडलीय)/मुख्यालय एव मीठापुर स्थित सभी पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक (सूचना)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लोक सूचना का अपीलीय प्राधिकार/सभी संबंधित कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।